फर्द अहकाम

कादम्बिनी बनाम कजोडमल व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

केस संख्या 34/2024 (टी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	04/12/24	आज दिनांक 04/12/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पीठासीन अधि. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/12/24 को पेश हों।	
	12/12/24	आज दिनांक 12/12/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पीठासीन अधि. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/24 को पेश हों।	
	23/12/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की ओर से ग्राम धरवाड़ा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की एकल खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1237/953, 1238/774, 950, 956/1195, कुल खसरा किता 04 कुल रकबा 1.34 हे. के सन्दर्भ में अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित करवाए जाने के आशय का वाद प्रस्तुत किया गया है। जो मिन प्रार्थीगण/वादीगण की साक्ष्य हेतु नियत है। उल्लेखित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की कब्जा काश्त शुदा भूमि है। जिसको लगभग 15 वर्षों पूर्व से ही प्रार्थीगण द्वारा चारों ओर से पुख्ता तारबन्दी / बाउन्ड्रीवाल करवा कर महफूज कर रखा है। वर्णित भूमि से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

फर्द अहकाम

कादम्बिनी व अन्य बनाम / कजोडमल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

केस संख्या 34/2024 (टी. आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/12/24	आराजी भूमि की सीमाओं में अनुचित दखलन्दाजी करते हुए प्रार्थीगण की आराजी पर अवैध तोड़फोड़ करने व अवैध कब्जा / अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के मना करने पर विवाद करते है। जिससे प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा के समक्ष वाद (मय प्रा. पत्र टी. आई.) प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी में अप्रार्थीगण को अवैध रूप से तोड़फोड़ करने व अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही करने से तथा प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में अनुचित दखलन्दाजी बाबत निषेधित करवाने के अधिकारी है। इस बाबत यदि अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे, काश्त की भूमि पर निर्मित पुख्ता बाउन्ड्रीवाल / तारबन्दी को ध्वस्त कर अवैध कब्जा कर लेंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी तथा वाद बहुलता बढेगी। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के अंतिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित एकल खातेदारी की भूमि में निर्मित पुख्ता बाउन्ड्रीवाल / तारबन्दी को ध्वस्त ना करें, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे तथा प्रार्थीगण को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की अनुचित दखलन्दाजी ना करें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय–जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

कादम्बिनी व अन्य बनाम कजोड़मल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 34/2024 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/12/24	स्वयं की एकल खातेदारी की अभिलिखित भूमि की सीमाओं के संदर्भ में वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जो वादीगण साक्ष्य की प्रक्रिया में नियत लम्बित है। साथ ही मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा के रूप में अप्रार्थीगण को निषेधित करवाए जाने का अनुतोष चाहा गया है। जिसके संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पूर्व में पारित किया गया है तथा अप्रार्थीगण को वादपत्र व प्रा.पत्र तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के वांछित अनुतोष के संदर्भ में अपना पक्ष रखने व उक्त अनुतोष के संदर्भ में किसी भी प्रकार की उज्र आपत्ति व उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में समुचित कथन/खंडन प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी कर सूचित किया गया। जिसके क्रम में बावजूद विधिवत प्राप्ति नोटिस व सूचना के अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष विधिवत रूप से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही प्रार्थनापत्र टी.आई. के तथ्यों का किसी भी रूप में व किसी भी स्तर पर कोई मान्य अथवा औपचारिक खंडन मात्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि प्रस्तुत तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की एकल खातेदारी की अभिलिखित भूमि के संदर्भ में [illegible] अतः तथ्यों के इत्तिफाक प्रार्थनापत्र [illegible] निषेधाज्ञा स्वीकार [illegible] अन्तरिम अस्थाई [illegible] 01.07.24 को [illegible] किया जाता है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम घटवाड़ा तह. आमेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.स.नं. 1237/953, 1238/774, 950, 956/1195 कुल रकबा किता 4 रकबा 1.34 है. में प्रार्थीगण के उपयोग-उपभोग में	

ह./

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

कादम्बिनी बनाम कजोड़मल व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

34/2024 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23/12/24	किसी प्रकार की दखलन्दाजी / मदाखलत ना करें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

ह./

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested